न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया
पीठासीन अधिकारीः– जय कौशिक आर.ए.एस.
प्रकरण संख्याः– 365 / 2024
वादपत्र अन्तर्गत धारा :–88 आरटीए

1. बलजिन्द्र सिह पुत्र श्री भगवान सिह जाति जटसिख निवासी लंबी ढाब तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)

वादी

बनाम

1. भगवान सिह पुत्र श्री दलबारा सिह जाति जटसिख निवासी लम्बीढाब तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
2. अमनदीप कौर पुत्री श्री भगवान सिह पत्नी श्री कुलविन्द्र सिह जाति जटसिख निवासी बजीतपुर भोमा तहसील अबोहर जिला फाजिल्का पंजाब।
3. तहसीलदार राजस्व संगरिया।

प्रतिवादीगण

उपस्थित :–

1– श्री भीमसैन परीक वकील वादी
2– श्री अनिल भोबिया – वकील प्रति सं. 1 ता 2

निर्णय दिनांक :– 18.10.2024

अधिवक्ता वादी द्वारा एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया जिसके तथ्य निम्नानुसार है कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 2 एक ही संयुक्त हिन्दू परिवार के सदस्य है। प्रतिवादी संख्या 1 वादी का पिता है तथा प्रतिवादीया संख्या 2 वादी की सगी बहिन है जो शादीशुद्वा है तथा शादी के बाद से अपने ससुराल में निवास कर रही है। वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से संगरिया तहसील के चक 3 एनकेआर के खाता संख्या 72 / 43 जमाबन्दी संवत 2073–2076 में 0.759 है. कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। प्रमाणित प्रति जमाबन्दी संलग्न वाद पत्र है। उक्त वर्णित समस्त कृषि भूमि वादी के पिता को वादी के दादा से विरासतन प्राप्त है। जिसमे मुझ वादी एवं प्रतिवादीया संख्या 1 का जन्म से हक निहित है। प्रतिवादी संख्या 1 अन्य दिगर लोगो के प्रभाव में है इसलिए उक्त विरासतन आराजी को लेकर वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से 2 के मध्य मनमुटाव पैदा हो गया जिस पर रिश्तेदारों ने पंचायत मे वादी एवं का निम्न प्रकार से कृषि भूमि प्राप्त हुई [illegible] तहसील के चक 3 एनकेआर के खाता संख्या 72 / 43 जमाबन्दी संवत 2073–2076 में 0.759 है. कृषि भूमि पर वादी काबिज है। कब्जा काश्त बाबत परिवार के सदस्यों का व अन्य काश्तकार के साथ किसी प्रकार का विवाद नही है। प्रतिवादी संख्या 1 के पास संगरिया तहसील के चक 8 ए.एम.पी. में कृषि भूमि है। प्रतिवादी संख्या 1 वादी की सगी बहिन है जो शादी शुद्वा है तथा अपने अपने ससुराल में सुखपूर्वक रह रही है जिसने

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी

Signature Not Ve
Digitally signed by Ja
Date: 2024.11.04 16
Reason: SelfAttested

अपने विरासतन प्राप्त होने वाले हिस्सा की समस्त कृषि भूमि का परित्याग वादी पक्ष में कर दिया है। उक्त वादग्रस्त कृषि भूमि वादी के कब्जा में होने के बावजूद राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज होने के कारण वादी को बैक लोन एवं सिंचाई सुविधाओ एवं सरकारी सहायता प्राप्त करने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। इसलिए वादी अपने हिस्सा की कृषि भूमि को अपने नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहता है जिसका वह अधिकारी एवं दावेदार है। इस हेतु वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 से 2 से कई बार निवेदन किया कि वे वादी को घरू विभाजन में प्राप्त एवं कब्जा की कृषि भूमि का राजस्व रिकार्ड में वादी के नाम से अंकन करवा देवे तो उक्त प्रविवादीगण कुछ समय तो आजकल आजकल करते रहे एवं बाद वमुकाम गांव लम्बीढाब में ऐसा करने से स्पष्ट ईकार कर दिया। बस यही बिनाय दावा है।

लिहाजा वाद वादी प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद वादी विरूद्व प्रतिवादीगण निम्न प्रकार से डिक्री फरमाया जावे कि संगरिया तहसील के चक 3 एनकेआर के खाता संख्या 72/43 जमाबन्दी सम्वत 2073–2076 मे 0.759 है. कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार है। इसी अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमन किया जाकर वादी के नाम से रकमराज अलग से कायम की जावे।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर वाद प्रस्तुत होने पर हिसेदार की रिपोर्ट ली गई। वाद–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 ने जरिये अधिवक्ता जवाब दावा पेश कर वाद को स्वीकार किया जो शामिल पत्रावली किया गया। प्रतिवादी संख्या 3 स्टेट की ओर से जवाब दावा प्रस्तुत हुआ जिसे शामिल मिसल किया गया। साक्ष्य वादी मे वादी बलजिन्द्र सिह ने अपना शपथ पत्र अ.आ.18 नियम 4 सीपीसी पेश कर साक्ष्य के साथ फार्म नम्बर 3 में वर्णित अनुसार विरास्तन साक्ष्य में चक 3 एनकेआर खाता संख्या 43/41 जमाबन्दी सम्वत 2069–2072 की जमाबन्दी की प्रमाणित प्रति एवं इस न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 2022 अनवान हरबंश सिह बनाम प्रकाश कौर में पारित डिक्री की फोटो प्रति पेश की गई। जो शामिल पत्रावली है। वकील वादी एवं प्रतिवादीगण ओर साक्ष्य पेश नही करना चाहते है इसलिए साक्ष्यवादी एवं प्रतिवादी बन्द किये गये।

बहस उभय पक्ष विद्वान अधिवक्तागण सुनी गई। बहस मे वकील वादी ने कथन किया कि चक 3 एनकेआर खाता संख्या 72/43 जमाबन्दी सम्वत [illegible] मे 0.759 हैक्ट. कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या 1 भगवान सि[illegible] जायदाद है। बहस में यह भी कथन किया कि [illegible]गण ने कोई विरोध नहीं किया इस आधार पर वादपत्र को स्वीकार किया जावे [illegible] पैतृक सम्पति साबित करने हेतु बतौर साक्ष्य में वकील वादी ने चक 3 एनकेआर खाता संख्या 43/41 जमाबन्दी सम्वत 2069–2072 की जमाबन्दी की प्रमाणित प्रति एवं इस न्यायालय द्वारा

Signature Not Verified
Digitally signed by Jai Kaushik
Date: 2024.11.04 16:57:28 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

प्रकरण संख्या 2022 अनवान हरबंश सिंह बनाम प्रकाश कौर मे पारित डिक्री की फोटो प्रति पेश की गई है के आधार पर वादपत्र में वर्णित आराजी पैतृक सम्पति होना साबित होने से वादपत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

दस्तावेजी का गहराई से अध्ययन किया गया। बहस अधिवक्ता पर मनन किया गया। वादी एवं प्रतिवादीगण 1 ता 2 एक ही परिवार के सदस्य है। वादग्रस्त आराजी वाद पत्र के वर्णितानुसार प्रतिवादी संख्या 1 के नाम है जो चक 3 एनकेआर खाता संख्या 43/41 जमाबन्दी सम्वत 2069 2072 की जमाबन्दी की प्रमाणित प्रति एवं इस न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 2022 अनवान हरबंश सिंह बनाम प्रकाश कौर में पारित डिक्री की फोटो प्रति से विरासतन साबित है। प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 ने जरिये अधिवक्ता उपस्थित होकर सहमति का जवाब दावा पेश किया है जिससे वाद पत्र के तथ्यों की पुष्टि हो रही है। दस्तावेजी साक्ष्यों से वाद वादी साबित है। पक्षकारान के मध्य कोई विवाद नहीं है। इसलिए प्रकरण में तनकीयात कायम किये जाने की आवश्यकता नहीं है। वाद वादी मुताबिक सहमति के जवाब दावा व पैतृक सम्पति के साक्ष्य के आधार पर काबिल स्वीकार होने से स्वीकृत किया जाता है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादीगण मुताबिक सहमति के जवाब दावा के आधार पर निम्नानुसार डिक्री किया जाता है कि :– प्रतिवादी सं. 1 भगवान सिंह के नाम दर्ज चक नं. 3 एनकेआर खाता सं. 72/43 जं.सं. 2073–2076 में 0.759 है कृषि भूमि का वादी बलजिन्द्र सिंह को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर प्रतिवादी सं. 1 का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है। पर्चा डिक्री अलग से जारी होकर पत्रावली फैसल शुमार नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे।

निर्णय आज दिनांक 18.10.2024 को मेरे [illegible] लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jai Kaushik
Date: 2024.11.04 16:57:28 IST
Reason: SelfAttested

([illegible] कौशिक)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी संगरिया
संगरिया

डिक्री बमुकदमें ईब्तदाई
अ. आदेश 20 नियम 6–7 व्या.प्रक्रियां संहिता
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,संगरिया
पीठासीन अधिकारीः– जय कौशिक आर.ए.एस.
प्रकरण संख्याः– 365/2024

बलजिन्द्र सिह पुत्र श्री भगवान सिह जाति जटसिख निवासी लंबी ढाब तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)

वादी

बनाम

1. भगवान सिह पुत्र श्री दलबारा सिह जाति जटसिख निवासी लम्बीढाब तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
2. अमनदीप कौर पुत्री श्री भगवान सिह पत्नी श्री कुलविन्द्र सिह जाति जटसिख निवासी बजीतपुर भोमा तहसील अबोहर जिला फाजिल्का पंजाब।
3. तहसीलदार राजस्व संगरिया।

प्रतिवादीगण

यह राजस्व मुकद्मा आज मुझ जय कौशिक आर.ए.एस. के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे बहाजरी श्री भीमसैन पारीक वकील वादी मिन जामिन मुदई श्री अनिल भोबिया वकील प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि प्रतिवादी सं. 1 भगवान सिह के नाम दर्ज चक नं. 3 एनकेआर खाता सं. 72/43 जं.सं. 2073–2076 में 0.759 है. कृषि भूमि का वादी बलजिन्द्र सिह को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर प्रतिवादी सं. 1 का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है

नोटः– यदि प्रश्नगत भूमि बैक रहन हो तो रहन मुक्त होने के पश्चात ही अमल दरामद किया जावे।

निज....X....नल....X....मुब्लिक....X....निल....X....बाबत....X....निल....X....खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी .... आज .... तारीख वसूलयाबी तक....X.... अदा करें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jai Kaushik
Date: 2024.11.04 16:57:28 IST
Reason: SelfAttested

बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 18.10.2024 को जारी किया गया।

(जय कौशिक)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी संगरिया